उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण

मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी), रायपुर रोड़, देहरादून

निविदा सूचना सं0 – 02/अभि0/2018–19 देहरादून, दिनांक : 04.05.2018

निविदा सूचना

एतद्द्वारा राज्य के 08 जनपद पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग एवं देहरादून के मत्स्य पालकों को ट्राउट मत्स्य आहार की आपूर्ति तथा राज्य के समस्त जनपदों में कार्प प्रजाति हेतु मत्स्य आहार की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित फर्मो/विभाग/संस्थानों से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 21.05.2018 को अपरान्ह् 02:30 बजे मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) देहरादून में खोली जायेगी। निविदा के अन्य नियम व शर्ते निविदा प्रपत्र कार्यालय से क्रय कर अथवा विभागीय वेवबसाईट www.fisheriesuk.org एवं http://uktenders.gov.in पर डाउनलोड कर देखी जा सकती है।

टैण्डर डाउनलोड की तिथि	–	05.05.2018 से 26.05.2018
टैण्डर विक्रय (कार्यालय से)	–	21.05.2018 से 26.05.2018
टैण्डर जमा करने की अन्तिम तिथि	–	26.05.2018 (अपराह्न 01:00 बजे तक)
निविदा खुलने की तिथि व समय	–	26.05.2018 (अपराह्न 02:30 बजे)

सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून।

उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण

मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी), रायपुर रोड, देहरादून

--निविदा सूचना संख्या 02/अभि0/2018–19 दिनांक 04.05.2018 की शर्ते व नियम--

1. निविदादाता को मत्स्य आहार की आपूर्ति हेतु अधोलिखित शर्तो को भलीभॉति पढ़ व समझ कर हस्ताक्षर करना होगा। अहस्ताक्षरित निविदा मान्य नहीं होगी एवं सभी शर्ते अनुबंध का अंग मानी जायेगी तथा मान्य होंगी।
2. निविदा प्रपत्र अहस्तानान्तरणीय है।
3. वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत ऐसी फर्मे जो विगत वर्षो से मत्स्य आहार आपूर्ति के कार्य कर रही है तथा ऐसे संस्थान/अन्य जो मत्स्य आहार उत्पादित करते हुए आपूर्ति का कार्य कर रहे है, की ही निविदाये मान्य होगी।
4. आपूर्तिकर्ता को मत्स्य आहार की आपूर्ति अधोलिखित तालिका में इंगित विवरणानुसार उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के विभिन्न जनपदों में स्थापित प्रक्षेत्रो/हैचरियो/फीड मिल में की जायेगी।

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	आपूर्ति हेतु प्रस्तावित मात्रा
1.	ट्राउट मत्स्य आहार (Pellet Size 0.5 mm to 2 mm)	16 टन
2.	ट्राउट मत्स्य आहार (Pellet Size 3.5 mm to 5 mm)	32 टन
3.	ट्राउट मत्स्य आहार (Pellet Size 5 mm to 8 mm)	112 टन
4.	कार्प मत्स्य आहार (Pellet Size : dia - 2 mm to 5 mm & length – 3mm to 8mm)	400 टन

5. निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.fisheriesuk.org अथवा http://uktenders.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं **अथवा** निविदा प्रपत्र दिनांक 14.05.2018 से 21.05.2018 तक किसी भी कार्यदिवस में (प्रातः 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक) मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) रायपुर रोड, देहरादून से निर्धारित मूल्य **₹**590/– मात्र (जी0एस0टी0 सहित) का भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते है। तथा निर्धारित तिथि 21.05.2018 के अपराह्न 01:00 बजे तक ही निविदा प्रपत्र प्राप्त कर निविदा मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) रायपुर रोड, देहरादून में डाली जा सकेगी।
6. डाउनलोड निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र पर अंकित मूल्य (**₹**590/–) की धनराशि का डिमान्ड ड्राफ्ट (जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो) ''सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून'' के पक्ष में देना होगा।
7. निविदादाता ट्राउट मत्स्य आहार अथवा कार्प मत्स्य आहार अथवा दोनो सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत कर सकता है।
8. निविदादाता को ट्राउट एवं कार्प मत्स्य आहार की आपूर्ति संलग्नक 01 में इंगित जनपदीय कार्यालय/प्रक्षेत्र पर की जानी होगी। निविदा दर में सामग्री की आपूर्ति हेतु समस्त कर (जिसमें जी0एस0टी0, परिवहन आदि) सम्मिलित होगें, के अनुसार ही दरें प्रस्तुत की जाय।
9. **धरोहर धनराशि** – यदि एक निविदादाता मात्र ट्राउट मत्स्य आहार की आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत करता है तो ऐसे निविदादाता को **₹**3.52 लाख की धरोहर धनराशि निविदा के साथ प्रस्तुत की जानी

होगी अथवा यदि एक निविदादाता मात्र कार्प मत्स्य आहार की आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत करता है तो ऐसे निविदादाता को ₹2.80 लाख की धरोहर धनराशि निविदा के साथ प्रस्तुत की जानी होगी। परन्तु यदि कोई निविदादाता दोनो सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत करता है तो ऐसे निविदादाताओं को ₹6.32 लाख की धरोहर धनराशि निविदा के साथ प्रस्तुत की जानी होगी।

10. निविदादाता द्वारा निम्नानुसार निविदा दो भाग में प्रस्तुत की जायेगी –

तकनीकी निविदा – तकनीकी निविदा के अन्तर्गत निम्न अभिलेख संलग्न किये जायेगें – 1) फर्म होने की स्थिति में जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र 2) फर्म का व्यापार कर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, संस्थानों/विभागों हेतु रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी 3) फर्म होने की स्थिति में पैन कार्ड की प्रति 4) फर्म होने की स्थिति में वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 का आयकर भुगतान का प्रमाण पत्र 5) ब्लैकलिस्ट न होने का प्रमाण पत्र – फर्म/संस्थान/विभाग/अन्य द्वारा स्वयं के लैटर हेड पर किसी भी विभाग/एजेन्सी/कम्पनी से ब्लैकलिस्ट न होने का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र दिया जायेगा 6) डाउनलोडेड निविदा फार्म के साथ धनराशि ₹590/– का डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा क्रय निविदा फार्म के साथ क्रय की रसीद 7) धरोहर धनराशि का डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा एफ0डी0आर – शर्त संख्या 09 के अनुरूप 8) निविदादाता का ई–मेल एवं मोबाईल नम्बर 9) सहमति पत्र–निविदा फार्म के समस्त पृष्ठों (प्रपत्र क एवं ख को छोडकर) में उल्लिखित शर्तो एवं नियमों को हस्ताक्षरित कर उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त क्रमांक 01 से 09 तक के अभिलेखों को एकसाथ एक लिफाफे में रख प्रस्तुत किया जायेगा, जो तकनीकी निविदा कहलायेगी। लिफाफे के बाहर ''**तकनीकी निविदा**'' एवं ''**निविदादाता का नाम**'' इंगित किया जायेगा।

वित्तीय निविदा – निविदादाता द्वारा **प्रपत्र क एवं पप्रत्र ख** में सामग्रियों के सापेक्ष दरें इंगित कर अपनी निविदा प्रस्तुत की जानी होगी, जो वित्तीय निविदा कहलायेगी, को एक लिफाफे में रख प्रस्तुत किया जायेगा, जो वित्तीय निविदा कहलायेगी। लिफाफे के बाहर ''**वित्तीय निविदा**'' एवं ''**निविदादाता का नाम**'' इंगित किया जायेगा। वित्तीय निविदा के लिफाफे के अन्दर कोई भी अन्य अभिलेख प्रस्तुत किये जाने पर वित्तीय निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11. ''तकनीकी निविदा लिफाफा'' एवं ''वित्तीय निविदा लिफाफा'' को एकसाथ एक बड़े लिफाफे में रख प्रस्तुत किया जायेगा। लिफाफे पर ''**मत्स्य आहार की आपूर्ति हेतु निविदा**'' एवं ''**निविदादाता का नाम**'' इंगित कर निविदा प्रस्तुत की जायेगी।
12. धरोहर धनराशि, डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा एफ0डी0आर0 '' सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून'' के नामें जो किसी भी राष्ट्रीयकृत्त बैंक द्वारा निर्गत हो, ही मान्य होगें। अन्य बैंकों द्वारा निर्गत धरोहर धनराशि, डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा एफ0डी0आर0 को स्वीकर नहीं किया जायेगा एवं ऐसी स्थिति में सम्बन्धित निविदादाता की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. मुहरबन्द निविदा प्रत्येक स्थिति में दिनांक 21.05.2018 तक (अपरान्ह् 1:00 बजे तक) सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के कार्यालय ''मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी), रायपुर, देहरादून'' में डाला जा सकेगा। बिना निविदा रसीद/ड्राफ्ट/धरोहर धनराशि के कोई भी निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
14. मुहरबन्द निविदा प्रपत्र पूर्ण कर निर्धारित तिथि व समय से पूर्व टैण्डर बाक्स में डालना आवश्यकीय है। नियत तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदा प्रपत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। कोरियर द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली निविदा मान्य नहीं होगी। डाक विभाग द्वारा विलम्ब से उपलब्ध कराये गये निविदा पत्रों हेतु अभिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. निविदा दिनांक 21.05.2018 को अपराह्न 02:30 बजे क्रय समिति द्वारा मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) रायपुर, देहरादून के कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष

खोली जायेगी। निविदा की स्वीकृति का अधिकार सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण को होगा।

16. निविदा अन्तर्गत सर्वप्रथम तकनीकी निविदा को खोला जायेगा, जिन निविदादाताओं की तकनीकी निविदा सही पाये जायेगी, मात्र उन्हीं निविदादाताओं की वित्तीय निविदाओं को खोला जायेगा।
17. वित्तीय निविदा अन्तर्गत न्यूनतम दर के अनुरूप सम्बन्धित निविदादाता के पक्ष में निविदा स्वीकृत की जायेगी। एक फर्म को एकसाथ अथवा किश्तों में मत्स्य आहार की आपूर्ति की जानी होगी।
18. सफल निविदादाता को आदेश निर्गत होने के दो सप्ताह के अन्दर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत अपने मूल्य से खरीदे हुए निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पूर्ण किया जाना होगा।
19. अनुबन्ध पत्र पूर्ण न किये जाने की स्थिति में निविदादाता द्वारा निविदा के समय जमा की गयी धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
20. अनुबन्ध करते समय सफल निविदादाता को आपूर्तित किये जाने वाले कुल मत्स्य आहार के मूल्य की कुल धनराशि की 05 प्रतिशत धनराशि के समकक्ष जमानत धनराशि जमा करनी अनिवार्य होगी, जो सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो, जमा की जायेगी।
21. **आपूर्ति** – आपूर्तिकर्त्ता को ट्राउट मत्स्य आहार की आपूर्ति चिन्हित जनपदों में तथा कार्प मत्स्य आहार की आपूर्ति समस्त जनपदों में स्वीकृत दर के आधार पर आपूर्तित किया जाना होगा जिसमें भाड़ा एवं समस्त प्रकार के कर आदि सम्मिलित होगें। निविदादाता को पृथक से कोई भाड़ा अथवा अन्य कोई भी धनराशि देय नहीं होगी। अतः वित्तीय निविदा में प्रस्तुत की जाने वाली निविदा धनराशि को भली भॉति अध्ययन कर ही इंगित की जाय।
22. आपूर्तिकर्त्ता को संलग्नक 01 में जनपद के सम्मुख इंगित स्थान पर सामग्री की आपूर्ति की जानी होगी। जिन जनपदों के सम्मुख 02 स्थल इंगित किये गये है, में से 01 ही स्थान पर आपूर्ति की जानी होगी, जिस हेतु आपूर्ति आदेश में स्पष्ट अवगत कराया जायेगा।
23. निविदादाता को सामग्रियों की आपूर्ति के समय आपूर्तित किये जा रहे मत्स्य आहार के दो सील्ड नमूने/सैम्पल अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने होगें, जिनकी मुख्यालय स्तर से आपूर्ति के अगले बीस दिवस के अन्तर्गत प्रयोगशाला से Randomly जॉच करायी जायेगी। जाँच रिपोर्ट में आपूर्तित मत्स्य आहार के मानक यदि **निर्धारित विचलन मानक की सीमा के अन्तर्गत** पाये जाते हैं तो सम्बन्धित मत्स्य आहार का स्वीकृत दर के अनुरूप पूर्ण भुगतान किया जायेगा।
24. परन्तु आपूर्तित मत्स्य आहार के मानक, यदि **निर्धारित विचलन मानक की सीमा से बाहर** पाये जाते है, तो सम्बन्धित फर्म का भुगतान मानक में उत्पन्न अन्तर के अनुरूप कटौती करते हुए ही किया जायेगा। यदि आपूर्तित मत्स्य आहार के मानको में, **निर्धारित विचलन मानक से बहुत अधिक अन्तर पाया गया तो** आपूर्तित मत्स्य आहार को अस्वीकृत करते हुए वापस करने का अधिकार सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के पास उपलब्ध होगा। निर्धारित विचलन **मानक** संलग्नक 02 पर इंगित है।
25. **कटौती** – सामग्रियों के मानकों में अन्तर उत्पन्न होने एवं अभिकरण द्वारा ऐसी सामग्रियों का प्रयोग किये जाने की स्थिति में सामग्रियों का भुगतान निम्न सूत्र के आधार पर किया जायेगा –

$$\textbf{भुगतान} = \frac{\text{आपूर्तित सामग्री की मात्रा} \times \text{आपूर्तित सामग्री के मानक में उत्पन्न अन्तर} \times \text{स्वीकृत दर}}{100}$$

26. फर्म को आपूर्ति आदेश अथवा अन्य कोई भी पत्राचार रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ–साथ ई–मेल के माध्यम से किया जायेगा। कार्यालय से पत्र निर्गत होने की तिथि के ही दिवस अथवा अगले दिवस में फर्म को अनिवार्य रूप से ई–मेल कर दिया जायेगा। अतः पत्र निर्गत की तिथि को ई–मेल द्वारा प्रेषित की जाने वाली तिथि ही माना जायेगा। जिन फर्मो के पास ई–मेल उपलब्ध न हो, ऐसी फर्मे Watsapp मोबाईल नम्बर कार्यालय में उपलब्ध करायेगीं।
27. किसी भी समय न्यूनतम दर वाली फर्म/सफल निविदादाता के मत्स्य आहार के मानक निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाते है तो ऐसी स्थिति में सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास

अभिकरण/अध्यक्ष क्रय समिति द्वारा द्वितीय न्यूनतम दर वाली फर्म से सामग्रियों की आपूर्ति करायी जा सकेगी।

28. किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा नियुक्त आर्विटेटर का निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनो पक्षों को मान्य होगा।

29. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित तालिका में अंकित मात्रा के सापेक्ष आपूर्तित की जाने वाली सामग्रियों की मात्रा अधिक या कम हो सकती है तथा सामग्री की आपूर्ति एक साथ अथवा कई किश्तों में करायी जा सकती है। आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति 25 कि0ग्रा0 अथवा 50 कि0ग्रा0 के बैग/कट्टे में ही की जानी होगी, जैसा कि आपूर्ति आदेश में निर्देशित किया जायेगा।

30. **भुगतान** – आपूर्तिकर्ता द्वारा मत्स्य आहार की आपूर्ति के समय तौल रसीद सहित बीजक सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जनपदीय अधिकारी द्वारा बीजकों का सत्यापन किये जाने के उपरान्त सचिव, अभिकरण कार्यालय में बीजक भुगतान हेतु अग्रसारित किये जायेगे। बीजक में जी0एस0टी0 (यदि हो तो) का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा तथा साथ ही मत्स्य आहार के HSN कोड भी अंकित किये जायेगें।

31. अनुबंध/आपूर्ति आदेश के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित मात्रा व समयावधि में मत्स्य आहार की आपूर्ति न किये जाने की स्थिति में मत्स्य आहार अन्य स्रोतों से क्रय कर लिया जायेगा। इसमें अभिकरण को यदि कोई वित्तीय क्षति होती है तो उसकी वसूली अनुबंधकर्ता से की जायेगी।

32. आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि अर्थात आपूर्ति आदेश से 03 सप्ताह (21 दिवस) के अन्दर आपूर्ति न करने की दशा में, आपूर्तित मत्स्य आहार के मूल्य पर 02 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से बीजक से कटौती की जायेगी।

33. आपूर्तिकर्त्ता निविदा में दी गयी दरों की स्वीकृत तिथि से आगामी एक वर्ष तक उन्हीं दरों पर आपूर्ति किये जाने हेतु बाध्य होगा। एक वर्ष के उपरान्त आपूर्तिकर्त्ता यदि अगले 06 माह हेतु उसी दर पर आपूर्ति करने का इच्छुक हो तो आपूर्तिकर्ता सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि से विचार विमर्श करते हुए मत्स्य आहार की आपूर्ति कर सकता है।

34. अस्वीकृत सामग्री को फर्म द्वारा अपने व्यय–भार से वापस लिया जायेगा।

35. निविदा दर के सम्बन्ध में सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण को निगोशियेशन (Negotiation) का अधिकार होगा।

36. किसी या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा निरस्त किया जा सकता हैं।

37. **जमानत धनराशि** – आपूर्तिकर्ता द्वारा सफल आपूर्ति एवं सम्बन्धित बीजकों का पूर्ण भुगतान होने के उपरान्त वापस की जायेगी। अनुबन्ध की शर्तो के उल्लंघन की दशा में सम्बन्धित फर्म का अनुबन्ध निरस्त कर जमानत धनराशि ब्याज की धनराशि सहित जब्त की जा सकती है।

38. किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र देहरादून होगा।

मैनें/हमने उपरोक्त लिखित समस्त शर्तो को भली भॉति पढ़ लिया है तथा मुझे/हमें उक्त सभी शर्ते पूर्णतः मान्य है।

प्रपत्र क

निविदा प्रपत्र

प्रपत्र मूल्य ₹500 + जी0एस0टी0@₹90 = ₹590

उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण

मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी), रायपुर रोड़, देहरादून

मत्स्य आहार की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र

सेवा में,

सचिव,

उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण,

मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी), देहरादून।

महोदय,

मैनें/हमने निम्नांकित सामग्री की आपूर्ति हेतु टैण्डर फार्म एवं संलग्न सभी शर्तों को पढ़ लिया है व भली भॉति समझ लिया है। मुझे/मैनें/हमें सभी शर्ते स्वीकार है। निविदा की स्वीकृति की सूचना मिलने के दो सप्ताह के अन्दर मैं/हम अपने धन से खरीदे हुए भारतीय स्टैम्प अधिनियम में निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध विलेख पूर्ण करने को तैयार हूॅ/है और निविदा में नीचे दी गयी सामग्री की निर्धारित धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करा रहा हूॅ/रहे है। अनुबन्ध विलेख न भरने व जमानत की धनराशि जमा न करने पर अभिकरण को धरोहर धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। निविदा की स्वीकृति मिलने पर मैं/हम समस्त सामग्री की आपूर्ति, क्रय/आपूर्ति आदेश दिये जाने के बाद टैण्डर फार्म में निर्धारित अवधि में अंकित दरों पर देने को बाध्य होगा/होंगे। आपूर्ति निर्धारित समयानुसार एवं मानकानुसार न करने पर अभिकरण को अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा। सभी सामग्रियों की आपूर्ति मेरे/हमारे द्वारा निर्धारित मानक के सापेक्ष अंकित विवरणानुरूप की जायेगी।

क्र0 सं0	सामग्री विवरण	मानक	मात्रा	धरोहर धनराशि (₹)	दर (₹ प्रति कुन्तल)	मात्रा के सापेक्ष कुल धनराशि (समस्त करों सहित)
1.	ट्राउट मत्स्य आहार (Pellet Size 0.5 mm to 2 mm) क– प्रोटीन ख– क्रूड फाईवर ग– वसा (फैट) घ– आद्रता	 65% (न्यूनतम) 4% (अधिकतम) 12% (अधिकतम) 10% (अधिकतम)	16 टन	₹50,000 (₹पचास हजार मात्र)		.
2.	ट्राउट मत्स्य आहार (Pellet Size 3.5 mm to 5 mm) क– प्रोटीन ख– क्रूड फाईवर ग– वसा (फैट) घ– आद्रता	 60% (न्यूनतम) 4% (अधिकतम) 12% (अधिकतम) 10% (अधिकतम)	32 टन			
3.	ट्राउट मत्स्य आहार (Pellet Size 5 mm to 8 mm) क– प्रोटीन ख– क्रूड फाईवर ग– वसा (फैट) घ– आद्रता	 55% (न्यूनतम) 4% (अधिकतम) 12% (अधिकतम) 10% (अधिकतम)	112 टन			
4.	कार्प मत्स्य आहार (Pellet Size : dia - 2 mm to 3 mm & length – 8mm to 12mm) क– प्रोटीन ख– क्रूड फाईवर ग– वसा (फैट) घ– आद्रता	 30% (न्यूनतम) 4% (अधिकतम) 12% (अधिकतम) 10% (अधिकतम)	400 टन			

1. मत्स्य आहार की आपूर्ति सम्बन्धित जनपद में आपूर्ति आदेश अन्तर्गत इंगित समयावधि के अनुसार की जायेगी।

2. धरोहर धनराशि का विवरण एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट संख्या – .... धनराशि ₹ ..../–

3. (क) निविदादाता का नाम –

   (ख) निविदादाता का पता –

   (ग) व्यापार कर रजिस्ट्रेशन संख्या –

(प्रमाणित प्रति संलग्न की जाय)

निविदादाता के हस्ताक्षर व तिथि

प्रपत्र ख

मत्स्य आहार की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र (पार्ट 2)

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	इकाई	प्रति इकाई लागत			
			बेसिक धनराशि	जी0एस0टी0 **(CGST एवं SGST सहित)**	अन्य चार्जेज अथवा कर (यदि कोई हो तो)	कुल धनराशि
1.	ट्राउट मत्स्य आहार (Pellet Size 0.5 mm to 2 mm)	कुन्तल				
2.	ट्राउट मत्स्य आहार (Pellet Size 3.5 mm to 5 mm)	कुन्तल				
3.	ट्राउट मत्स्य आहार (Pellet Size 5 mm to 8 mm)	कुन्तल				
4.	कार्प मत्स्य आहार (Pellet Size : dia - 2 mm to 3 mm & length – 8mm to 12mm)	कुन्तल				

दिनांक : 　　　　　　　　　　निविदादाता के हस्ताक्षर (मोहर सहित) :

निविदादाता का नाम व पता :

<u>संलग्नक 01</u>

मत्स्य आहार की आपूर्ति हेतु आपूर्ति स्थलों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम		सम्बन्धित कार्यालय का नाम
	ट्राउट मत्स्य आहार की आपूर्ति हेतु	कार्प मत्स्य आहार की आपूर्ति हेतु	
1	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	सहायक निदेशक मत्स्य, विकास भवन, उत्तरकाशी अथवा मत्स्य प्रक्षेत्र गंगोरी, गंगोत्री हाईवे, उत्तरकाशी
2	टिहरी	टिहरी	सहायक निदेशक मत्स्य, विकास भवन, टिहरी अथवा कोटेश्वर हैचरी, टिहरी गढवाल
3	चमोली	चमोली	सहायक निदेशक मत्स्य, गोपेश्वर (चमोली), निकट पेट्रोल पम्प अथवा मत्स्य प्रक्षेत्र बैरांगना, चमोली
4	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	जनपद मत्स्य प्रभारी, विकास भवन, रूद्रप्रयाग
5	—	पौड़ी	जनपद मत्स्य प्रभारी, विकास भवन, पौड़ी अथवा मत्स्य प्रक्षेत्र सतपुली, पौड़ी
6.	देहरादून	देहरादून	जनपद मत्स्य प्रभारी, मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रान्ट, देहरादून
7	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	सहायक निदेशक मत्स्य, विकास भवन, पिथौरागढ़
8	—	अल्मोड़ा	सहायक निदेशक मत्स्य, विकास भवन, अल्मोड़ा
9	बागेश्वर	बागेश्वर	जनपद मत्स्य प्रभारी, विकास भवन, बागेश्वर
10	चम्पावत	चम्पावत	जनपद मत्स्य प्रभारी, चम्पावत अथवा मत्स्य संसाधन केन्द्र नरियाल गांव, चम्पावत
11	—	नैनीताल	जनपद मत्स्य प्रभारी, भीमताल, नैनीताल अथवा मत्स्य प्रक्षेत्र भीमताल, नैनीताल
12	—	उधमसिंह नगर	सहायक निदेशक मत्स्य, विकास भवन, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर अथवा हेमपुर हैचरी, काशीपुर, उधमसिंहनगर
13	—	हरिद्वार	सहायक निदेशक मत्स्य, विकास भवन, रोशनाबाद, हरिद्वार

संलग्नक 02

मत्स्य आहार की आपूर्ति हेतु सामग्रियों के विचलन मानक

क्र0 सं0	जनपद	इकाई	निर्धारित विचलन मानक (उक्त सीमा तक पूर्ण भुगतान किया जायेगा)
1.	ट्राउट मत्स्य आहार (Pellet Size 0.5 mm to 2 mm) क– प्रोटीन ख– क्रूड फाईवर ग– वसा (फैट) घ– आद्रता	 न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम	 63-67% 3.5-4.5% 11-13% 10%
2.	ट्राउट मत्स्य आहार (Pellet Size 3.5 mm to 5 mm) क– प्रोटीन ख– क्रूड फाईवर ग– वसा (फैट) घ– आद्रता	 न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम	 58-62% 3.5-4.5% 11-13% 10%
3.	ट्राउट मत्स्य आहार (Pellet Size 5 mm to 8 mm) क– प्रोटीन ख– क्रूड फाईवर ग– वसा (फैट) घ– आद्रता	 न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम	 53-57% 3.5-4.5% 11-13% 10%
4.	कार्प मत्स्य आहार (Pellet Size : dia - 2 mm to 5 mm & length – 3mm to 8mm) क– प्रोटीन ख– क्रूड फाईवर ग– वसा (फैट) घ– आद्रता	 न्यूनतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम	 28-32% 3.5-4.5% 11-13% 10%